an>

Title: Need to give tax exemption under Section 80 C of Income Tax to parents having two girl child.

**कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर):** सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। नारी शक्ति का जितना सम्मान भारत में है उतना अन्यत्र कहीं भी नहीं है, चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश। हमारी संस्कृति ने दुनिया को संदेश दिया है। हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर अनेक विकसित विचारधाराओं वाले देशों की महिलाएं भी भारतीय नारी जैसा सम्मान पाने के लिए अपने देश की नागरिकता लेने के लिए उत्सुक हैं। हमारी संस्कृति का मानना है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।

महोदय, प्रजातंत्र के इस मंदिर में हम लोग जब कोई भी बात रखते हैं तो पूरे देश के संज्ञान में आती है और सरकार भी उसे संज्ञान में लेती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, उससे हमारी बेटियों का मनोबल बहुत बढ़ा है। इससे लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं, चाहे उज्ज्वला की योजना हो, आवास योजना हो या राशनकार्ड हो अनेकों योजनाओं से बेटियों को बहुत सम्मान मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का जी टेलीविजन पर एक कार्यक्रम देख रहा था। महिलाओं की क्रिकेट टीम क्रिकेट खेल कर वापस आई, उसका एक कार्यक्रम था। उसमें एक बेटी ने बोला कि मुझे सबसे अच्छा तब लगा जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे ट्वीट किया।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बेटियों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं तो माननीय वित्त मंत्री जी एक ऐसा प्रावधान कर दें कि जिस परिवार में केवल बेटी या दो बेटी है और बेटे नहीं हैं, ऐसे माता-पिता को आयकर की धारा 80 सी की डेढ़ लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर ढ़ाई लाख या तीन लाख रुपये कर दिया जाए।

**माननीय सभापति :**

श्री बलभद्र मांझी,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत

श्रीमती प्रियंका सिंह रावत और

श्रीमती नीलम सोनकर को श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।